

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में

समित्त
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदाय केन्द्र
पीठि गिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एनओसी0101

/2016-17 दिनांक 22/4/2016

विषय: सेठ एमओआर0जयपुरिया स्कूलस बनारस पडाव मुगलसराय रोड डांडी जिला वन्दौली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना। महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

Manoj Kumar
Manager

Seth M.R. Jaipuria Schools Banaras

[Signature]
Principal

9. तब तक शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णतः मोदक के बिना कोई परिवर्तन/गठबंधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवेदनो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और किसी समय यह जमा जा सकता है जो संस्था द्वारा उक्त प्रतिवेदनो का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुक या शिथिलता बरती जाती है जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पर आधारित ले लिया जायेगा।

मनदीप

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पु0310/एन0ओ0सी0/

879-85

/2016-17 दिनांक

प्रतिनिधि : निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. संयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक कन्दोली।
5. निरीक्षक, आर्यभट्ट भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रबन्धक, सेठएम0आर0जयपुरिया स्कूलस बनारस पडान मुगलसाराय रोड डाडी जिला कन्दोली।
7. माई फाइल हेतु।

25/10/16

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Seeth M.R. Jaipuria Schools Banaras

Manoj Kumar
Principal

Seeth M.R. Jaipuria Schools

Principal